

सीमा शुल्क आयुक्त, कलकत्ता

बनाम

मैसर्स पीयरलैस कन्सल्टेंट्सी सर्विस प्राईवेट लिमिटेड

24 मई, 2007

(डॉ. अरिजीत पसायत और लोकेश्वर सिंह पटना, जे.जे.)

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 धारा 113 (डी) 114- ड्यूटी एंटाईटलमेंट पास बुक स्कीम के तहत निर्यात- निर्धारिती ने स्टील बॉल का निर्यात किया तथा स्कीम के तहत क्लेम किया- रेवेन्यू विभाग ने आरोप लगाया कि उच्च डीईपीबी क्रेडिट प्राप्त करने के उद्देश्य से संबंधित माल का अत्यधिक इन्वॉइस बनाया तथा घोषित एफओबी और पीएमबी को अत्यधिक बढ़ाया - निर्धारिती को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया -- कारण बताओं नोटिस को आयुक्त ने सही ठहराया- न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) ने आयुक्त के आदेश को अपास्त किया - निर्णित किया गया: कि ट्रिब्यूनल ने कमिश्नर के आदेश को बिना किसी विवेचन व बिना यह बताये कि कमिश्नर के आदेश में निष्कर्ष किस प्रकार गलत थे।

अभिनिर्धारित किया -- मामले को पुनः नये सिरे से निर्णित करने के लिए मामला सीईएसटीएटी को प्रतिप्रेषित किया गया- विदेश व्यापार

(विनियमन) नियम, 1993 & प्रत्यर्थी कम्पनी कम्प्यूटीकृत मुद्रण का व्यवसाय करती थी, प्रत्यर्थी कम्पनी ने पहली बार इयूटी एंटाईटलमेंट पास बुक स्कीम के तहत (डीईपीईबी) 14.63 करोड रुपये के मूल्य की स्टील बॉल का निर्यात किया। राजस्व एजेंसी ने पाया कि उच्च डीईपीईबी क्रेडिट प्राप्त करने के लिए माल की इन्वॉयस को अत्यधिक बढ़ाया गया। इस पर प्रत्यर्थी कम्पनी को स्टील बाल की कीमत को लेकर गलत घोषणा करने, जानबूझकर गलत कथन करने और तथ्यों को दबाने के लिए कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। 113 (डी) कस्टम एक्ट 1962 सपठित नियम 11 विदेश व्यापार (विनियमन) नियम,1993 का उल्लंघन हुआ है तथा 114 कस्टम एक्ट के उल्लंघन के लिए दण्डात्मक कार्यवाही की गई। आयुक्त ने कार्यवाही को उचित ठहराया परन्तु सीईजीएटी को ने निर्धारिती की अपील का स्वीकार किया तथा आयुक्त के आदेश को अपास्त किया।

राजस्व विभाग के द्वारा की गई अपील में यह अभिवाक् लिया गया कि ट्रिब्यूनल इस बात पर गौर करने में विफल रहा कि आयुक्त के द्वारा दिये गये निष्कर्ष कम्पनी के द्वारा पेश किये गये साक्ष्यों पर आधारित है। पेश की गई साक्ष्य यह दर्शाती थी कि उच्च डीईपीबी लाभ प्राप्त करने के लिए गलत कथन व गलत घोषणा की गई, ट्रिब्यूनल ने आयुक्त के विस्तृत आदेश को अपास्त करने के कोई कारण नहीं बताये। अपील स्वीकार की

जावे तथा ममाले को पुनः नये सिरे से निर्णित करने के लिए मामला सीईएसटीएटी को प्रति प्रेषित किया जावे।

यह निर्णित किया गया - आयुक्त ने ओवर इन्वासिंग के विभिन्न पहलुओं का विस्तार से उल्लेख किया था। परिपत्र 69/97 की प्रायोज्यता मामले विशेष के परिदृश्य पर निर्भर करेगी। ट्रिब्यूनल ने केवल पक्षकारों की दलीलों को संदर्भित किया तथा बिना यह बताये कि आयुक्त का आदेश किस प्रकार से गलत था, अपना निष्कर्ष दिया। ट्रिब्यूनल का आदेश अपास्त किया गया। ममाले को पुनः नये सिरे से निर्णित करने के लिए मामला सीईएसटीएटी को प्रति प्रेषित किया गया। (पैरा 19 और 20) (790-बी,सी)

सीमा शुल्क आयुक्त, न्यू कस्टम हाउस, मुंबई बनाम विशाल एक्सपोर्ट्स ओवरसीज लिमिटेड (2007) 9309 ईएलटी 331 एससी, उद्धृत।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5415-5417/2002

अपील संख्या सी/आर-292-294/2001 में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण, ईजेडबी कोलकाता के अंतिम निर्णय और आदेश संख्या ए-141-143 दिनांक 11-02-2002 से।

वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विश्वनाथ शेट्टी, जी. उमापेथी एस.जे. Aristotle और बी. कृष्णा प्रसाद- अपीलार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता।

वरिष्ठ अधिवक्ता एस.के बगारिया, संजय घोष, मिस अनिता शिनाँय, सोरभ, सुमन सिन्हा, पीयूष कुमार और नवनीत पंवार- प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय माननीय न्यायाधिपति महोदय, डॉ अरीजित पसायत द्वारा किया गया।

01. इस अपील में सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलार्थी न्यायाधिकरण, ईजेडबी कोलकाता (संक्षेप में सीईजीएटी) द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें सीईजीएटी ने प्रत्यर्थी की अपील को स्वीकार किया था तथा अपने आदेश में यह कहा था कि यह मामला राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा जारी परिपत्र संख्या 69/97 दिनांक 08.12.1997 के अनुसार प्रत्यर्थी के विरुद्ध सफल नहीं होगा क्योंकि वर्तमान घोषित बाजार मूल्य (संक्षेप में पीएमवी) ए.आर 4 मूल्य से 150 प्रतिशत से अधिक नहीं है। अतः सीमा शुल्क आयुक्त कलकत्ता के आदेश को अपास्त किया गया।

02. मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है।

03. प्रत्यर्थी कम्पनी, कम्प्यूटीकृत मुद्रण का व्यवसाय करती थी, प्रत्यर्थी कम्पनी ने पहली बार इयूटी एंटाईटलमेंट पास बुक स्कीम (संक्षेप में 'डीईपीबी') स्कीम के तहत 14.63 करोड रुपये के मूल्य की स्टील बॉल का निर्यात मैसर्स रिया मल्टीपल एटरप्राइजेज मलेशिया को किया। जिस कम्पनी को माल निर्यात किया गया है वह कम्पनी कम्प्यूटर एवं इन्फोरमेशन टेक्नॉलाजी पर आधारित डीलर होने के साथ-साथ जनरल इंशोरेंस एजेंट के रूप में भी काम करती थी। डीईपीबी स्कीम के तहत निर्यात किया गया था तथा 3.20 करोड का क्लेम किया गया था।

4. उच्च डीईपीबी क्रेडिट प्राप्त करने के लिए माल के सकल ओवर इन्वॉइसिंग की डीआरआई द्वारा जांच की गई, जिसमें यह पाया कि:

(i) घोषित पी.एम.वी. घोषित एफ.ओ.बी के मूल्य के 98.35 प्रतिशत से 124 प्रतिशत बीच भिन्न पायी गयी। (एफ.ओ.बी में बताये अनुसार)

(ii) लदान बील की तारीख के अनुसार 11.06.99 और 25.08.99 शिपमेंट को प्रभावित किया गया है। जबकि की संविदा के अनुसार भुगतान की शर्त 60 दिन है।

(iii) दिनांक 31.05.2000 तक निर्धारिती को तीन खेपों का भुगतान प्राप्त हुआ था। दिनांक 11.10.2000 तक 16 में से 5 खेपों का भुगतान ही प्राप्त हुआ था।

(iv) अलग-अलग आकार की स्टील बॉलों के लिए एफओबी मूल्य घोषित किया गया था जो निम्नानुसार हैं:

3.17 एमएम साइज की प्रति स्टील बॉल.70 रुपये

6.35 एमएम साइज की प्रति स्टील बॉल 1.30 रुपये निर्धारित किये गये थे।

(v) पीएमवी स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उद्धृत मूल्य के आधार पर निर्धारित की गई तथा पीएमवी की घोषित मूल्य में भिन्नता, गुणवत्ता की जांच करने पर अस्वीकरण पर आधारित है।

(vi) खेप का एफओबी मूल्य विदेशी खरीददार की सहमति के आधार पर नियत किया गया था।

(vii) घोषित एफओबी का मूल्य केवल डीईपीबी के क्रेडिट की अधिक राशि प्राप्त करने के लिए बढ़ाया गया था।

(viii) अत्यधिक घोषित एफओबी को प्रमाणित करने के लिए पेश किये गये स्पर्धीकरण में पीएमवी कोई आधार नहीं है। किसी विशेषज्ञ द्वारा सटीक गुणवत्ता, गुणवत्ता नियंत्रण पर विचार किया गया है तो इसको लेकर कोई साक्ष्य पेश नहीं की जा सकेगी,

(ix) ना तो निर्यातक ना विदेश खरीददार यहां तक की स्थानीय आपूर्तिकर्ता भी स्टील बॉल के नियमित डीलर नहीं होंगे। ना तो निर्यातक ना ही स्थानीय आपूर्तिकर्ता भारत की किसी भी पार्टी को स्टील बॉल के विक्रय का सबुत पेश कर सकेंगे। डीईपीबी स्कीम के तहत विदेशों में विक्रय का साक्ष्य केवल मैसर्स एस.एफ.फोरिंगिंग व मैसर्स अरलून ऑटो मोबाईल ही दे सकेंगी।

(x) आपूर्तिकर्ता को तथाकथित ब्रिकी मूल्य राशि का 1/3 या 1/4 हिस्सा ही प्राप्त हुआ था। लेकिन एक वर्ष से अधिक अवधि तक सप्लाई किये गये माल के बड़े हिस्से का भुगतान नहीं हुआ था।

(xi) उपरोक्त तमाम बातों के उजागर होने के आधार पर घोषित पीएमबी व एफओबी, वास्तविक पीएमबी के मुकाबले बहुत अधिक प्रतीत होती है।

(xii) ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा का पूरा संव्यवहार सामान्य व्यापारिक अनुक्रम के तहत नहीं हुआ है बल्कि डीईपीबी स्कीम के तहत गलत तरीके से निर्यात करने के लिए एफओबी व पीएमबी के मूल्य को अत्यधिक बढ़ाया गया।

5. तदुसार स्टील बॉल की कीमत को लेकर गलत घोषण करने, जानबूझकर गलत कथन करने और तथ्यों को दबाने के लिए इसके अलावा

113 (डी) कस्टम एक्ट 1962 सपठित नियम 11 विदेश व्यापार (विनियमन) नियम, 1993 तथा 114 कस्टम एक्ट के उल्लंघन के लिए दण्डात्मक कार्यवाही के लिए कारण बताओं नोटिस जारी किया गया तथा पूछा गया कि-

(i) पीएमवी और एफओबी मूल्य 2,80,52,207/- रुपये तथा 2,73,60,806/- रुपये नहीं लिये गये।

(ii) निर्यातित माल को लेकर अनुज्ञेय डीईपीबी क्रेडिट 60,19,377/- रुपये क्यों नहीं ली गयी।

(iii) निर्यातित माल में 16 शिपिंग बिल शामिल हैं, जिनका कुल एफओबी घोषित मूल्य 14,91,89,854/- रुपये है, उन्हें धारा 113 (डी) के तहत समपहरण क्यों ना किया जावे।

(iv) अधिनियम की धारा 114 के तहत निर्यातक और उसके निदेशक श्री पारसमल लोढा और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एन.आर. बच्छावत के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही क्यों ना की जावे।

06. अपील के समर्थन में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी कम्पनी के निदेशक पारसमल लोढा ने निम्नलिखित पहलुओं को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है:

(i) कम्पनी का मुख्य व्यवसाय कम्प्यूटरीकृत मुद्रण है।

(ii) डीआईपीबी योजना के लाभ ने स्टील बॉल के निर्यात में उद्यमियों को आकर्षित किया और किसी पार्टी को क्रेडिट पर निर्यात करने का जोखिम भी उठाया।

(iii) भुगतान 60 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए था लेकिन भुगतान में 6 से 18 महीनें तक की देरी हुई।

(iv) भुगतान का 90 प्रतिशत पहले ही प्राप्त हो चुका था शेष राशि का भुगतान दिनांक 15.04.2001 तक यानी वर्ष 2001 में जांच शुरू होने के बाद किया जाना था।

(v) उन्हें स्टील बॉल की अंतरराष्ट्रीय कीमत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

(vi) उन्हें सितम्बर 2000 के बाद ही खरीददारों से भुगतान का मोटा हिस्सा प्राप्त हो गया था इस पर उन्होंने स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को बकाया भुगतान कर दिया था।

(vii) उन्हें स्टील की बॉल की गुणवत्ता की जांच में इस्तेमाल किये जाने वाली प्रक्रिया एवं विधि का पता था। लेकिन उन्होंने एक विशेषज्ञ को नियुक्त किया।

7. उपरोक्त समस्त सामग्रियों के आधार पर आयुक्त ने निम्न लिखित निष्कर्ष दिये।

“(1) सम्पूर्ण पृष्ठभूमि यह स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि सम्पूर्ण व्यवसाय सामान्य अनुक्रम में नहीं किया गया है बल्कि निश्चित रूप से गलत किया गया था।

(2) निर्यातक को अपने निर्यात किये जाने वाले उत्पादों की अन्तरराष्ट्रीय कीमत का पता नहीं था। अपने माल की गुणवत्ता के संबंध में कोई सबूत पेश नहीं कर सका। केवल उन कम्पनियों के कोटेशन को प्रस्तुत किये जिनसे उन्होंने माल खरीदा है। 14.91 करोड़ रुपये का माल बिना किसी प्रक्रिया के निर्यात किया गया तथा इसे रोका गया जब तक कि निर्धारित अवधि तक 14.91 करोड़ रुपये प्राप्त ना हो जाये।

8. इससे यह स्पष्ट होता है कि निर्यात इन्वॉयस व शिपिंग बिल लेन-देन के सही मूल्य को नहीं बताते हैं। इसलिए माना गया है कि गलत तरीके से उच्च डीईपीबी क्रेडिट प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए संबंधित वस्तुओं की अधिक इन्वॉयस की गई तथा शिपिंग बिलों में पीएमवी को अधिक बताया गया। इसलिए घोषित पीएमवी तथा एफओबी मूल्य को खारिज किया जाता है। तथा यह निर्धारित किया गया है कि पीएमवी तथा एफओबी मूल्य बाजार जांच निष्कर्ष के आधार पर तय किये जावे।

9. पीएमवी को लेकर आयुक्त ने निम्नानुसार अभिमत दिया है:

“पीएमबी व एफओबी के मूल्य का सत्यापन करने के लिए जो दिशा-निर्देश है उनका डी.आर.आई ने पूर्णतया: पालन किया है बोर्ड के द्वारा जारी किये गये तीनों परिपत्रों में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि समसामयिक निर्यात की साक्ष्य के आधार पर पीएमबी मूल्य को खारिज/संशोधित/चुनौती दी जावेगी। यह केवल मार्केट जांच के आधार पर ही तय होगा। इसलिए कारण बताओं नोटिस में पीएमबी व एफओबी मूल्य के सदंर्भ में जो कहा गया है माने जाने योग्य है।

10. तदनुसार आयुक्त ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी तय किया कि:

“डीईपीबी क्रेडिट के तहत निर्यात किया गया माल का मूल्य डीईपीबी लाभ के संबंध में शिपिंग बिलों में की गई घोषणा के अनुरूप नहीं था क्योंकि यह शिपिंग बिलों में घोषित किया गया था कि डीईपीबी स्कीम के तहत लाभ पीएमबी के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इसलिए इसे नियम 11 0 14 विदेश व्यापार (विनियमन) नियम, 1993 सपठित धारा 3(3) [विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992] और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 11 का उल्लंघन माना गया है। इसलिए धारा 113 (डी) कस्टम एक्ट के तहत समपहरण योग्य है।

11. तदनुसार कारण बताओं नोटिस की पुष्टि की जाती है।

12. आयुक्त के आदेश से व्यथित पक्षकार प्रत्यर्थी ने सीईजीएटी के समक्ष अपील की।

13. प्रत्यर्थी की अपील को स्वीकार करते हुए सीईजीएटी ने अपना निष्कर्ष दिया जो निम्नानुसार है:

“हमारे मत में पीएमवी को निर्माण की लागत के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। एआईएसआई: 316 ग्रेड के अनुरूप 6.3 एमएम व 3.17 एमएम के आकार की स्टील बॉल की कीमत का पता बाजार से लगाया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया है यह साबित करने का भार विभाग पर था कि पीएमवी को बढ़ाया गया था लेकिन विभाग ने अपने इस दायित्व को पुरा नहीं किया। कारण बताओं नोटिस में यह बताया गया है कि स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं ने 6.3 एमएम की प्रति बॉल के 1 से 1.25 रुपये तथा 3.17 एमएम की बॉल के 0.56 पैसे में आपूर्ति की। कारण बताओं नोटिस में इस बात का उल्लेख नहीं है कि स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को किया गया भुगतान वापस अपीलार्थी को दे दिया गया।

“इस प्रकार उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के मध्यनजर क्योंकि घोषित पीएमवी AR4 के मूल्य के 150 प्रतिशत से अधिक नहीं है इसलिए राजस्व विभाग का अपीलार्थी के विरुद्ध

मामला बनना नहीं पाया जाता है इसलिए लागू आदेश को रद्द किया जाता है तथा अपील स्वीकार की जाती है।”

14. अपीलार्थी के अनुसार ट्रिब्यूनल इस बात पर गौर करने में विफल रहा कि आयुक्त के द्वारा दिये गये निष्कर्ष कम्पनी के द्वारा पेश किये गये साक्ष्यों पर आधारित है। पेश की गई साक्ष्य यह दर्शाती थी कि उच्च डीईपीबी लाभ प्राप्त करने के लिए गलत कथन व गलत घोषणा की गई। सम्पूर्ण संव्यवहार मिथ्या कथन, मिथ्या घोषणा व महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर किया गया था, जिस पर ट्रिब्यूनल ने ध्यान नहीं दिया।

15. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि ट्रिब्यूनल ने आयुक्त के विस्तृत आदेश को अपास्त करने के कोई आधार भी नहीं बताये है। आयुक्त के आदेश में स्पष्ट रूप से ओवर इन्वॉयसिंग को लेकर निष्कर्ष थे। जहां तक परिपत्र संख्या 69/97 का संबंध है तो यह केवल सामान्य सिद्धांत ही बताता है। प्रत्यर्थी द्वारा किया गया कपटपूर्ण संव्यवहार पूर्णतः स्पष्ट है। ट्रिब्यूनल के द्वारा दिया गया निष्कर्ष उचित नहीं है।

16. इसके प्रत्युत्तर में प्रत्यर्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा कि डीईपीबी क्रेडिट को लेकर अपील में जो विवाद उठाया गया है, वह आयात-निर्यात पॉलिसी, 1997-2002 (संक्षेप में ईएक्सआईएम पॉलिसी) के तहत प्रत्यर्थी के लिए अनुज्ञेय है। ईएक्सआईएम पॉलिसी के पैरा संख्या 7.25 के अनुसार डीईपीबी, निर्यात के एफओबी मूल्य के प्रतिशत के रूप में स्वीकार्य है।

प्रक्रिया पुस्तक 1997-2002 के पैरा संख्या 7.36 (संक्षेप में प्रक्रिया पुस्तक) में यदि क्रेडिट की पात्रता की दर 15 प्रतिशत या अधिक थी तो क्रेडिट निर्यात उत्पाद के पीएमपी के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

17. हस्तगत मामले में विदेशी क्रेता ने स्वीकृत एवं निर्धारित एफओबी मूल्य पर माल खरीदा और सम्पूर्ण भुगतान किया। सम्पूर्ण निर्यात की आय विदेशी मुद्रा में प्राप्त की गई और बैंक प्रेषण/एफआईआरसी की प्रतियां भी पेश की गईं। ऐसा कोई आरोप नहीं है कि विदेशी खरीददार व्यक्ति जानकार व्यक्ति हो। एफओबी निर्यात दस्तावेजों जैसे कि शिपिंग बिल, इन्वॉयस बिल, बीआरसी/एफआईआरसी द्वारा पूर्णतया समर्थित हैं।

18. यह तर्क दिया गया कि एफओबी तथा पीएमवी को ईएक्सआईएम पॉलिसी में नहीं बताया गया है। हालांकि, वित्त मंत्रालय के परिपत्र सं 69/97 में निर्धारण का तरीका बताया गया है।

19. यह तर्क दिया गया कि इसी तरह के मामलों, कस्टम आयुक्त, न्यू कस्टम हाउस, मुंबई बनाम विशाल एक्सपोर्ट्स ओवरसीज लिमिटेड (2007) 9309 ई.एल.टी. 331 एस.सी., में राजस्व विभाग ने अपील की थी, जो श्रीमान् न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी।

20. हम यह पाते हैं कि आयुक्त ने ओवर इन्वॉयसिंग को लेकर दिये गये निष्कर्ष में सभी पहलुओं को विस्तारपूर्वक विवेचित किया है। परिपत्र

संख्या 69/97 की प्रयोज्यता प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।

21. हस्तगत मामलें में ट्रिब्यूनल ने केवल पक्षकारों की दलीलों को संदर्भित किया तथा बिना यह बताये कि आयुक्त का आदेश किस प्रकार से गलत था, अपना निष्कर्ष दिया। ट्रिब्यूनल का आदेश अपास्त किया जाता है। ट्रिब्यूनल का आदेश संधारणीय नहीं है इसलिए मामले को पुनः नये सिरे से निर्णित करने के लिए सीईएसटीएटी को प्रति प्रेषित किया गया। यह भी ध्यान रहे कि वर्तमान सीईजीएटी सीमा शुल्क उत्पाद एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में सीईजीएटी) के रूप में जाना जावें।

उक्तानुसार अपील स्वीकार की जाती है। मामले के गुणावगुण पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा रहा है।

आर.पी.

अपील स्वीकार की जाती है।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक, न्यायिक अधिकारी नवीन कुमार झरवाल (आर.जे.एस.), द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।